2016-17

मुख्यालय
उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
29/20, नेमी रोड, डालनवाला, देहरादून

पत्रांक–यूईपीपीसीबी/एचओ/सहमति/सी–5/2016/ 529 दिनांक : 17/6/2016

सेवा में,

Registered/AD

M/s Cheema Paper Ltd.,
Plot No.-103, 9 Km, Stone,
Bazpur Road, Kashipur,
Distt- U.S.Nagar.

PCB ID – 13189
CCA – Renewal
Outward -

विषय :–जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम् 1974 की धारा 25/26 एवं संशोधित अधिनियम् 1978 के अन्तर्गत घरेलू/प्रक्रिया जनित उत्प्रवाह निस्तारण एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम् 1981 के धारा 21 एवं संशोधित अधिनियम 1987 के अन्तर्गत सहमति एवं परिसंकटमय एवं अन्य अपशिष्ट (प्रबन्धन हथालन एवं सीमापार परिचालन) नियम 2016 की धारा–5 के अन्तर्गत प्राधिकार के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने आवेदन पत्र दिनांक 28.04.2016 **(INWARD:62444)** तथा तत्क्रम में क्षेत्रीय कार्यालय की निरीक्षण आख्या एवं संस्तुति का बोर्ड मुख्यालय में परीक्षण किया गया। परीक्षणोपरान्त आपका ध्यान निम्न बिन्दुओं पर आकृष्ट किया जाता है।

1. उद्योग द्वारा राज्य बोर्ड द्वारा पूर्व में निर्गत संचालनार्थ सहमति पत्र में वर्णित शर्तों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है।
2. उद्योग द्वारा शुद्धिकृत उत्प्रवाह को tertiary treatment के बिना निस्तारित किया जा रहा है।
3. उद्योग द्वारा जनित उत्प्रवाह के नमूने की विश्लेषण आख्या बोर्ड मानकों से अधिक पायी गयी।
4. उद्योग द्वारा Paper Mill Charter के अन्तर्गत निर्धारित निर्देशों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

उपरोक्त परिस्थितियों में आपको जनहित में प्रक्रिया जनित उत्प्रवाह निस्तारण एवं उत्सर्जन के निस्सरण हेतु सहमति प्रदान नहीं की जा सकती है। अतः जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 25/26 एवं संशोधित अधिनियम 1978, वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21 एवं संशोधित अधिनियम 1987 के अन्तर्गत आपकी सहमति एवं परिसंकटमय एवं अन्य अपशिष्ट (प्रबन्धन हथालन एवं सीमा परिचालन) नियम 2016 के अन्तर्गत प्राधिकार **अस्वीकृत** किया जाता है। उद्योग को निर्देशित किया जाता है कि पत्र प्राप्ति के दो सप्ताह के अन्दर उपरोक्त बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण प्रेषित करते हुये जल व वायु सहमति एवं प्राधिकार हेतु नियमानुसार **प्रारम्भिक शुल्क एवं निर्धारित बैंक गारण्टी** सहित पुनः ऑन लाइन आवेदन करना सुनिश्चित करें। पुनः CCA अस्वीकृत होने पर बैंक गारण्टी जब्त कर ली जायेगी। निर्धारित तिथि तक वांछित कार्यवाही का विवरण प्राप्त न होने एवं उसके सन्तोषजनक न पाये जाने पर उद्योग के विरूद्ध जल अधिनियम, वायु अधिनियम एवं परिसंकटमय अपशिष्ट नियम के सुसंगत प्रावधानों के तहत बिना किसी पूर्व सूचना के अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी। जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं उद्यमी का होगा।

भवदीय,

OFFICE COPY

(विनोद सिंघल) 17/6/16
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि : क्षेत्रीय अधिकारी (प्र0), उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, काशीपुर, जिला–उधमसिंहनगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्त बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुये तथा जल–वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं का आकलन कर अविलम्ब अनुपालन स्थिति सहित अग्रिम कार्यवाही की स्पष्ट संस्तुति इस कार्यालय को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित् करें।

OFFICE COPY

पर्यावरण अभियन्ता

15.06.16